भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4384
20.08.2025 को उत्तर देने के लिए

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की प्रतिदर्श पद्धति

4384. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्री अरुण गोविलः
श्री कंवर सिंह तंवरः
श्री नलिन सोरेनः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की प्रतिदर्श पद्धति में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अप्रैल, 2025 के लिए प्रमुख श्रम बल संकेतकों जैसे-श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) का सारांश क्या है;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से दुमका, झारखंड में श्रम बल भागीदारी और लिंग-वार रुझानों में मुख्य अंतर क्या है;

(घ) क्या पुनर्गठित पीएलएफएस का उपयोग लक्षित नीति निर्माण के लिए किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ङ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के प्रतिदर्श डिजाइन को जनवरी 2025 से नया रूप दिया गया है, ताकि पीएलएफएस से संवर्धित कवरेज के साथ अधिक बारंबारता वाले श्रम बाजार संकेतकों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। संशोधित पीएलएफएस में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने की परिकल्पना की गई है:

- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में अखिल-भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक आधार पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों (अर्थात श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना।

- पीएलएफएस के तिमाही परिणामों का कवरेज ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना और इस प्रकार देशीय स्तर पर और प्रमुख राज्यों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में तिमाही अनुमान तैयार करना

- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और सीडब्ल्यूएस दोनों में महत्वपूर्ण रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का वार्षिक अनुमान लगाना।

सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) क्रमशः पिछले 365 दिनों और सर्वेक्षण की तारीख से पहले के पिछले सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर सर्वेक्षण किए गए व्यक्ति की कार्यकलाप स्थिति निर्धारित करने के लिए रूपरेखाओं को संदर्भित करती है।

पीएलएफएस की प्रतिदर्शकरण पद्धति में परिवर्तन के मुख्य पहलू नीचे दिए गए हैं:

- **प्रतिदर्श आकार में वृद्धि**

संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिज़ाइन एक बहु-चरणीय स्तरीकृत डिज़ाइन है। गणना 2011 के गाँवों/शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस) ब्लॉकों/उप-इकाइयों (उन गाँवों या यूएफएस ब्लॉकों के लिए जहाँ उप-इकाइयाँ बनाई गई हैं) की सूची ने मिलकर प्रथम चरण इकाइयों (एफएसयू) के चयन के लिए प्रतिदर्श ढांचे का निर्माण किया। संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिजाइन में, दो-वर्षीय पैनल के प्रत्येक वर्ष में कुल 22,692 एफएसयू (ग्रामीण क्षेत्रों में 12,504 एफएसयू और शहरी क्षेत्रों में 10,188) का सर्वेक्षण करने की योजना बनाई गई है, जबकि दिसंबर, 2024 तक पीएलएफएस में 12,800 एफएसयू का सर्वेक्षण किया जाएगा।

प्रत्येक चयनित एफएसयू से कुल 12 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कुल प्रतिदर्श आकार लगभग (22,692 x 12) = 2,72,304 परिवार है। यह दिसंबर, 2024 तक कवर किए गए प्रतिदर्श परिवारों की संख्या (जो लगभग 1,02,400 थी) की तुलना में पीएलएफएस में शामिल किए जाने वाले प्रतिदर्श परिवारों की संख्या में 2.65 गुना वृद्धि दर्शाता है। बढ़े हुए प्रतिदर्श आकार से श्रम बाजार संकेतकों के विश्वसनीय अनुमान बेहतर परिशुद्धता के साथ उपलब्ध होने की आशा है।

- **रोटेशनल पैनल योजना में परिवर्तन**

जनवरी 2025 से लागू संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिजाइन में अपनाई गई रोटेशनल पैनल योजना में, प्रत्येक चयनित घर का लगातार चार महीनों में चार बार दौरा किया जाता है - शुरुआत में पहले महीने में पहली बार दौरा किया जाता है और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अगले तीन महीनों में अन्य तीन बार पुन: दौरा किया जाता है। यह रोटेशनल पैनल योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लगातार दो महीनों के बीच सर्वेक्षण किए गए प्रतिदर्शों का 75% मिलान और क्रमिक तिमाहियों में 50% मिलान सुनिश्चित करती है।

- **बहुस्तरीय डिज़ाइन की प्रथम (या प्राथमिक) चरण प्रतिदर्शकरण इकाइयों (एफएसयू) में परिवर्तन**

प्रथम चरण इकाइयों के आकार में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2011 की गणना के बड़े गांवों और यूएफएस ब्लॉकों को सैद्धांतिक रूप से लगभग समान आकार की छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिन्हें उप-इकाइयां कहा जाता है, जो गांव में जनसंख्या या यूएफएस ब्लॉक में परिवारों की संख्या के आधार पर पूर्व-निर्धारित मानदंडों पर निर्भर करती हैं।
जनवरी 2025 से लागू किए गए संशोधित पीएलएफएस डिजाइन में, गणना 2011 के गांवों/उप-इकाइयों (उन गणना 2011 गांवों के लिए जहां उप-इकाइयां बनाई गई हैं) की सूची ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण इकाइयों के चयन के लिए प्रतिदर्श ढांचा तैयार किया।

इसी प्रकार, नवीनतम उपलब्ध यूएफएस ब्लॉकों/उप-इकाइयों (उन यूएफएस ब्लॉकों के लिए जहां उप-इकाइयां बनाई गई हैं) की सूची ने मिलकर शहरी क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण इकाइयों के चयन के लिए

प्रतिदर्श ढांचा तैयार किया।

- **प्रथम (या प्राथमिक) चरण प्रतिदर्श इकाइयों के स्तरीकरण में संशोधन**

संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिज़ाइन में, जिले को प्राथमिक भौगोलिक इकाई बनाया गया है, जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मूल स्तर कहा जाता है ताकि कवर किए गए भूगोल के अधिकांश भाग के लिए एफएसयू का चयन किया जा सके। शेष भागों में एनएसएस क्षेत्र को मूल स्तर बनाया गया है।

- **एफएसयू के चयन हेतु चयन योजना में परिवर्तन**

संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिजाइन में, प्रत्येक स्तर/उप-स्तर से एफएसयू का चयन प्रत्येक माह के लिए सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शकरण (एसआरएस) योजना के अनुसार किया जाता है।
जनवरी 2025 से संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिजाइन के परिणामस्वरूप पीएलएफएस प्रसार में निम्नलिखित परिवर्तन होगा:

- **देशीय स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों के मासिक अनुमानों की उपलब्धता:**

संशोधित पीएलएफएस प्रतिदर्श डिज़ाइन, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) दृष्टिकोण के अनुरूप अखिल भारतीय स्तर पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों, जैसे श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) के मासिक अनुमान तैयार करने में सक्षम बनाएगा। मासिक अनुमान समय पर नीतिगत हस्तक्षेप करने में सहायता करेंगे।

- **तिमाही अनुमानों को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना:**

दिसंबर 2024 तक, पीएलएफएस केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही श्रम बाजार संकेतक प्रदान करता रहा। पीएलएफएस प्रतिदर्श डिज़ाइन में अद्यतनीकरण के साथ, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों और इस प्रकार पूरे देश के लिए रोजगार-बेरोजगारी संकेतकों के तिमाही अनुमान उपलब्ध होंगे।

अखिल भारतीय स्तर पर सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार अप्रैल 2025 के महीने के दौरान पीएलएफएस के मासिक बुलेटिन के आधार पर श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) जैसे प्रमुख श्रम बल संकेतकों के अनुमान अनुबंध-I में तालिका में दिए गए हैं।

जुलाई 2023-जून 2024 के दौरान आयोजित पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट से ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों के पुरुष, महिला और व्यक्ति के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) में झारखंड सहित एलएफपीआर के राज्यवार अनुमान अनुबंध II में तालिका में दिए गए हैं। पीएलएफएस 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में अनुमान केवल केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर जारी किए गए हैं और दुमका, झारखंड के अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

*****

अनुबंध I

तालिका (1): पीएलएफएस से अप्रैल 2025 के दौरान सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के अनुसार श्रम बल संकेतक (प्रतिशत में)

अखिल-भारत

सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में एलएफपीआर			
क्षेत्र	पुरुष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	57.5	28.8	42.9
शहरी	58.5	20.5	39.9
ग्रामीण + शहरी	57.8	26.2	42.0
सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में डब्ल्यूपीआर			
क्षेत्र	पुरुष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	54.7	27.7	41.0
शहरी	55.1	18.7	37.3
ग्रामीण + शहरी	54.8	24.9	39.8
सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में यूआर			
क्षेत्र	पुरुष	महिला	व्यक्ति
ग्रामीण	4.9	3.8	4.5
शहरी	5.8	8.7	6.5
ग्रामीण + शहरी	5.2	5.0	5.1

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, मासिक बुलेटिन, अप्रैल 2025

अनुबंध II

तालिका (2): पीएलएफएस 2023-24 से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण+शहरी क्षेत्रों के पुरुष, महिला और व्यक्ति के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (प्रतिशत में)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण			शहरी			ग्रामीण + शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
आंध्र प्रदेश	59.7	40.7	50.1	59.3	24.5	41.3	59.5	35.8	47.5
अरुणाचल प्रदेश	59.3	53.1	56.3	56.0	34.5	45.1	58.7	49.9	54.4
असम	60.7	38.2	49.6	64.3	25.5	45.0	61.1	36.8	49.1
बिहार	48.1	21.1	34.9	48.2	12.0	30.9	48.1	20.3	34.5
छत्तीसगढ	65.2	50.4	57.8	63.6	27.9	46.4	64.9	46.1	55.5
दिल्ली	54.7	13.8	37.8	54.0	14.5	35.9	54.0	14.5	36.0
गोवा	58.1	21.8	40.5	54.9	23.7	39.5	56.3	22.9	39.9
गुजरात	62.8	44.3	53.8	62.0	23.6	43.7	62.5	35.8	49.6
हरियाणा	51.8	20.2	37.1	56.3	16.7	37.9	53.5	18.8	37.4
हिमाचल प्रदेश	64.9	58.7	61.7	64.2	35.7	51.4	64.8	56.2	60.5
झारखंड	53.1	40.4	46.8	52.1	15.0	34.0	52.9	35.8	44.4
कर्नाटक	60.0	34.6	47.3	59.8	23.6	42.1	59.9	30.5	45.4
केरल	59.7	36.2	47.3	58.4	30.3	43.3	59.1	33.4	45.4
मध्य प्रदेश	63.2	45.4	54.6	58.7	22.3	40.7	62.0	39.4	51.0
महाराष्ट्र	61.0	38.0	49.6	61.0	23.7	43.1	61.0	32.0	46.8
मणिपुर	52.8	36.5	44.6	52.4	35.7	43.9	52.7	36.3	44.4
मेघालय	54.8	48.7	51.7	53.1	37.8	45.1	54.6	47.1	50.7
मिजोरम	51.1	30.5	41.0	49.2	30.2	39.6	50.2	30.4	40.4
नागालैंड	57.3	45.2	51.1	52.0	35.8	44.1	55.7	42.7	49.1
ओडिशा	61.9	40.3	50.8	59.1	24.4	42.0	61.5	38.0	49.4
पंजाब	62.4	27.7	45.2	62.6	19.0	41.4	62.5	24.4	43.7
राजस्थान	56.4	43.0	49.6	56.8	23.5	40.9	56.5	38.0	47.3
सिक्किम	67.1	65.5	66.4	61.1	26.2	46.0	65.7	56.9	61.7
तमिलनाडु	60.4	44.5	52.3	59.2	24.4	41.3	59.8	35.2	47.2
तेलंगाना	61.4	44.0	52.4	57.5	24.5	41.3	59.8	36.5	48.0
त्रिपुरा	64.8	39.1	51.9	57.3	25.9	41.3	63.5	36.8	50.0
उत्तराखंड	56.6	41.8	49.3	55.6	18.6	37.2	56.4	35.9	46.2
उत्तर प्रदेश	54.7	28.1	41.5	56.9	13.5	36.2	55.2	25.2	40.4
पश्चिम बंगाल	63.6	33.7	48.6	64.3	26.8	45.4	63.8	31.7	47.7
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	67.5	44.6	56.5	67.9	30.0	49.3	67.7	38.0	53.3
चंडीगढ़				60.1	25.0	43.5	60.1	25.0	43.5
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	62.1	54.3	58.3	69.9	18.5	47.9	66.7	34.7	52.3
जम्मू एवं कश्मीर	55.7	41.9	49.0	58.2	25.8	42.5	56.2	38.8	47.8
लद्दाख	55.5	46.4	51.3	61.0	26.3	45.0	56.2	43.7	50.5
लक्षद्वीप	73.3	14.5	45.7	56.3	12.4	35.4	61.2	13.0	38.4
पुदुचेरी	58.6	37.1	48.0	58.2	24.4	40.2	58.4	28.9	43.1
अखिल भारत	**57.9**	**35.5**	**46.8**	**59.0**	**22.3**	**41.0**	**58.2**	**31.7**	**45.1**

नोट: 1) चंडीगढ़ के लिए इस सर्वेक्षण में पूरे क्षेत्र को शहरी माना गया है। 2) वर्ष 2023-24 जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि को संदर्भित करता है। स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, वर्ष 2023-24